F.2.14.3AE.13-14

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र. प. 2(14)III-A/निर्वा/105/2013-14/ 3864 जयपुर, दिनांक : 27/3/14

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति :— 1. जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त (कलक्टर)
2. सहायक लेखाधिकारी एवं
आहरण व वितरण अधिकारी
मुख्यालय, जयपुर।

विषय :— लोकसभा आम चुनाव 2014 के दौरान AC बिल द्वारा नगद आहरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि लोकसभा आम चुनाव 2014 के दौरान तत्काल होने वाले व्यय यथा पैट्रोल/डीज़ल, आउटराईट पेमेन्ट के एकमुश्त भुगतान एवं अन्य समस्त आकस्मिक व्ययों के भुगतान, सा. वि. एवं लेखा नियम, भाग–1 के नियम 219 के अनुलग्नक 'क' के अन्तर्गत सहपठित नियम 74 में शिथिलता देते हुए ए.सी. बिल द्वारा नगद आहरण कर किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। ए.सी.बिल द्वारा आहरित राशि का समायोजन डी.सी. बिल द्वारा सा .वि एवं लेखा नियम के तहत नियमानुसार समय पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त स्वीकृति वित विभाग की **आई.डी.सं 261400040 दिनांक 21/03/2014** से भारित है।

भवदीय,

(पी.सी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।